

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
03.09.2021

मिसल नम्बर
87 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

तारीख दायरा
11.12.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री विरधीचन्द साहू पुत्र स्व० श्री घासीलाल साहू एफ.वी.ओ. मैसर्स साहू किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज० निवासी वार्ड नं० 14 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज०
- 2- मैसर्स साहू किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज०

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) (iv) (v) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा०सु०अ० स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 03.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.09.2020 को समय 12.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स साहू किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज० पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से विरधीचन्द साहू पुत्र स्व० श्री घासीलाल साहू एफ.वी.ओ. मैसर्स साहू किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज० निवासी वार्ड नं० 14 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज० खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे मिर्च पावडर खुला (Chilli Powder Loose)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री विरधी चन्द साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता विरधी चंद साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



1308

मजिस्ट्रेट
माजेस्ट्रेट

आवेदक द्वारा दुकान में 6.6 किलोग्राम पोलिथीन में मिर्च पावडर खुला (Chilli Powder Loose) रखे हुये में से 2 किलोग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता, श्री बिरधीचन्द साहू को ₹0 280/- अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिसे पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मिर्च पावडर खुला (Chilli Powder Loose) 2 किलोग्राम को अलग-अलग साफ व सूखी पोलिथीन में 500-500 ग्राम बाट मापक से तुलवाकर पोलिथीन में भरकर पोलिथीन को नियमानुसार एयर टाईट बंद कर चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बों में अलग-अलग भरकर प्रत्येक पोलिथीन को कागज के डिब्बे में रखकर डिब्बे के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेवल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2587 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2587 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, बिरधीचन्द साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3876 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1310/एक्ट/2020/1389 दिनांक 13.10.2020 अनुसार बिरधीचन्द साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिर्च पावडर खुला (Chilli Powder Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का मिर्च पावडर खुला (Chilli Powder Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य



1309


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टॉक

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिर्च पावडर खुला (Chilli Powder Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिर्च पावडर खुला (Chilli Powder Loose) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री विरधीचन्द साहू पुत्र स्व० श्री घासीलाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज० निवासी वार्ड नं० 14 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज० पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू०) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



3-9-2021
(मुख्यी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०